रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224092
SG-DL-E-01012021-224092

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 01, 2021/पौष 11, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 255
No. 298]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 01, 2021/PAUSHA 11, 1942	[N. C. T. D. No. 255

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस–II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

सं. फा. 3/03/एचईएसएमए/2017/गृह पुलिस–II/5617-5625.—जबकि गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 03.07.2020 की अधिसूचना सं0 3/03/एचईएसएमए/2017/गृ. पु.–II/2203–2211 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) एवं डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल (सरकारी उर्जा निगम) में बिजली की आपूर्ति और वितरण में लगे बिजली कर्मचारियों और अभियन्ताओं की सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया था और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने के लिए ऐसे कर्मचारियों और अभियन्ताओं के हड़ताल को प्रतिबन्धित किया गया था। उक्त अधिसूचना दिनांक 03.01.2021 तक वैध है।

और जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आगे इस बात से संतुष्ट हैं, कि बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) एवं डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल (सरकारी उर्जा निगम) के बिजली कर्मचारयों एवं अभियन्ताओं द्वारा की जाने वाली हड़ताल/आन्दोलन पर प्रतिबंध लगाना जनहित में आवश्यक और समीचीन है ।

अब, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.07.93 की अधिसूचना सं0 जी एस आर 526(ई) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित हरियाणा अनिवार्य सेवाएं

रखरखाव अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम सं. 40) की धारा 4क के साथ पठित धारा 3 के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उपर्युक्त सेवाओं को अनिवार्य सेवाएं घोषित करते हैं और दिल्ली में बिजली सेवा प्रदान करने वाली बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) एवं डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल (सरकारी उर्जा निगम) के बिजली कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं द्वारा की जाने वाली हड़ताल पर दिनांक 04.01.2021 से 03.07.2021 तक और छः माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एल. के. गौतम, उप–सचिव (गृह)

HOME POLICE–II DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 31st December, 2020

No. F. 3/03/HESMA/2017/HP-II/5617-5625.—Whereas vide Home Department GNCTD notification No. F. 3/03/HESMA/2017/HP-II/2203-2211dated 03/07/2020, the Lt. Governor of the National Capital Teritary of Delhi declared the services of Electricity Employees and Engineers of BSES Rajdhani Power Limited (BRPL), BSES Yamuna Power Limited (BYPL) Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL) & DTL, IPGCL, PPCL (Govt. Power Corporation), engaged in the supply and distribution of Power, as essential Services and prohibited the strike of such Employees and Engineers for maintaining Services necessary for the people in the National Capital Territory of Delhi. The said notification is valid up to 03.01.2021.

And whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is further satisfied that in the public interest, it is necessary and expedient to prohibit the strike/agitation by Electricity Employees & Engineers BSES Rajdhani Power Limited (BRPL), BSES Yamuna Power Limited (BYPL), Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL) & DTL, IPGCL, PPCL (Govt. Power Corporation).

Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. GSR 526(E) dated 30.07.93, hereby declares the above-said services as essential services and prohibits the strike by Electricity Employees & Engineers (BSES Rajdhani Power Limited (BRPL), BSES Yamuna Power Limited (BYPL), Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL) & DTL, IPGCL, PPCL (Govt. Power Corporation), the power service providers in Delhi for another period of six months w.e.f 04.01.2021 up to 03.07.2021.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

L. K. GAUTAM, Dy. Secy. (HOME)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.01.01 19:52:37 +05'30'